अन्तरिक्ष विभाग में राजभाषा अधिनियम का लागू किया जाना

1353. **श्री जगदम्बी प्रसाद यादव** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उनके मंत्रालय से सम्बद्ध हिन्दी सलाहकार समिति की इस वर्ष कितनी बैठकें हुई और राजभाषा कार्यान्वयन समिति में सभी स्तरों पर गैर-सरकारी सदस्यों को पर्यवेक्षक के रूप में नामित किए जाने के संबंध में क्या स्थिति है;

(ख) विभाग के संस्थानों और अधीनस्थ कार्यालयों में, हिन्दी अनुभाग को छोड़कर, किस-किस अनुभाग में शत-प्रतिशत कार्य हिन्दी में किया जा रहा है तथा यह किस-किस तारीख से किया जा रहा है तथा किन मामलों में हिन्दी को अब तक नहीं अपनाया गया है तथा इसके क्या कारण हैं; और

(ग) राजभाषा अधिनियम की धारा 3 (3) को मंत्रालय स्तर से निम्नतम स्तर तक पालन न किए जाने के क्या कारण है जबकि अधिनियम को पारित हुए 24 वर्ष तथा वार्षिक कार्यक्रम को तैयार किए 10 वर्ष हो चुके हैं?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा महासागर विकास, परमाणु ऊर्जा, इलेक्ट्रानिकी और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्री के. आर. नारायण) : (क) परमाणु ऊर्जा, इलेक्ट्रानिकी तथा अंतरिक्ष विभागों के लिए एक ही संयुक्त हिन्दी सलाहकार समिति है। 1987 की अवधि में अब तक इस समिति की दो बैठकें हो चुकी हैं। राजभाषा विभाग द्वारा जारी निर्देशानुसार राजभाषा कार्यान्वयन समितियों में संबंधित मंत्रालय/विभाग की हिन्दी सलाहकार समिति के एक आसानी से उपलब्ध गैर-सरकारी सदस्य को पर्यवेक्षक के रूप में आमंत्रित किया जा सकता है।

(ख) अंतरिक्ष विभाग और इसके अधिकांश केन्द्र/यूनिटें क्षेत्र "ग" में स्थित है। चूंकि इनमें कार्यरत कर्मचारियों को हिन्दी में प्रवीणता प्राप्त नहीं है, अतः फिलहाल किसी भी अनुभाग (हिन्दी अनुभाग के अलावा) में शत-प्रतिशत कार्य हिन्दी में करना संभव नहीं है।

(ग) विभाग के सचिवालय में राजभाषा अधिनियम की धारा 3(3) का पूर्णतया अनुपालन किया जा रहा है।

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राजभाषा अधिनियम का लागू किया जाना

1354. **श्री जगदम्बी प्रसाद यादव** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उनके मंत्रालय से सम्बद्ध हिन्दी सलाहकार समिति की इस वर्ष की कितनी बैठकें हुई और राजभाषा कार्यान्वयन समिति में सभी स्तरों पर गैर-सरकारी सदस्यों को पर्यवेक्षक के रूप में नामित किए जाने के संबंध में क्या स्थिति है;

(ख) मंत्रालय, इसके विभागों, संस्थानों और अधीनस्थ कार्यालयों मे, हिन्दी अनुभाग को छोड़कर, किस-किस अनुभाग में शत-प्रतिशत कार्य हिन्दी में किया जा रहा है तथा किन मामलों में हिन्दी को अब तक नहीं अपनाया गया है तथा इसके क्या कारण हैं; और

(ग) राजभाषा अधिनियम की धारा 3(3) को मंत्रालय स्तर से निम्नतम स्तर तक पालन न किए जाने का क्या कारण है जबकि अधिनियम को पारित हुए 24 वर्ष तथा वार्षिक कार्यक्रम को तैयार किए हुए 10 वर्ष हो चुके हैं ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा महासागर विकास, परमाणु ऊर्जा इलेक्ट्रानिकी और अंतरिक्ष विभागों के राज्य मंत्री (श्री के. आर. नारायणन) : (क) इस वर्ष विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय तथा महासागर विकास विभाग की हिन्दी सलाहकार समिति की दो बैठकें आयोजित हुई हैं। राजभाषा कार्यान्वयन समिति में पर्यवेक्षक के रूप में अभी तक किसी भी गैर-सरकारी सदस्य को नामित नहीं किया गया है।

(ख) विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के तीन स्वतंत्र विभाग हैं, नामतः विज्ञान और प्रौद्यो-